पाक प्रायोजित आतंकवाद से निपटने के लिए अमरीका की सहायता मांगना

1679. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोलाः** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने आतंकवाद से निपटने हेतु अमरीका से सहायता हेतु कोई अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अमरीका की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने अमरीका से पाकिस्तान द्वारा भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने संबंधी मुद्दे को उसके साथ उठाने का भी अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या कश्मीर के मुद्दे पर अमरीका ने पाकिस्तान के साथ कोई सख्त रवैया अपनाया है?

विदेश मंत्री (श्री इंद्र कुमार गुजराल): (क) और (ख) जी हां। सरकार ने आतंकवाद से निपटने के लिए अन्य मित्र देशों की तरह संयुक्त अमेरिका से भी सहयोग मांगा है। भारत ने उन व्यक्तियों के प्रत्यर्पण की भी मांग की है जो भारत में आतंकवादी अपराधों के दोषी हैं और जिन्होंने अमरीका में शरण मांगी है, तथा नयी भारत-अमरीका प्रत्यर्पण संधि सम्पन्न करने पर भी बातचीत चल रही है।

संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार ने कई अवसरों पर यह बात दोहराई है कि वह आतंकवाद के संबंध में हमारी चिन्ता से सहमत है और इस खतरे के निपटान के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति वचनबद्ध है। अमरीका ने आतंकवादियों के प्रत्यर्पण से सम्बद्ध हमारे अनुरोधों पर मामला-दर-मामला आधार पर सहयोग किया है। नयी भारत-अमरीका प्रत्यर्पण संधि के पाठ को भी अन्तिम रूप दे दिया गया है और अब इसके औपचारिक अनुमोदन के लिए दोनों देशों में कार्रवाई की जा रही है।

(ग) और (घ) जी हां, अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद से लड़ने की हमारी साझी वचनबद्धता को देखते हुए हम अमरीका की सरकार को इस बात से अवगत कराते रहे हैं कि पाकिस्तान भारत में आतंकवाद का प्रयोजन कर रहा है और उसे दुष्प्रेरित कर रहा है।

(ङ) सार्वभौमिक आतंकवाद के तौर-तरीकों से सम्बद्ध अमरीकी विदेश विभाग की 1995 की वार्षिक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि कश्मीर में लड़ रहे उग्रवादियों को जिसमें पाकिस्तान, अफगान और अरब राष्ट्रिक शामिल हैं तथा जिनमें से कुछ आतंकवाद फैला रहे हैं आधिकारिक पाकिस्तानी समर्थन मिलने की विश्वसनीय खबरें हैं।

यह बात स्वीकार करने के बावजूद कि कश्मीर में आतंकवादियों को पाकिस्तान का आधिकारिक समर्थन प्राप्त है, अमरीकी सरकार का बराबर यह मानना है कि अमरीका के पास उपलब्ध साक्ष्य से इस तर्क को समर्थन नहीं मिलता है कि पाकिस्तान को आतंकवाद का प्रायोजन करने वाले राज्यों की सूची में रखा जाना चाहिए।

Ban on import of Raw Silk

1680. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether there is a demand for banning the imports of raw silk to protect the Indian raw silk production;

(b) if so, Government's reaction thereto; and

(c) the steps Government have initiated to improve the quality of raw silk to international standards?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI R. L. JALAPPA): (a) Yes, Sir. There have been demands for banning/restricting import of raw silk.

(b) Under the current Export-Import policy raw silk is already in the Negative List of Imports. At present import of raw silk is being allowed only under the Advance Licensing Scheme of the EXIM policy to enable Indian Silk exporters to meet their raw material requirements at international prices. As such it is not considered desirable to impose a complete ban on import of raw silk. However, the policy is reviewed from time to time and modified to ensure that it may not affect sericulture industry in India.

(c) The various programmes being undertaken/proposed to be undertaken to improve the quality of silk produced in the country include providing of incentive bonus for production of bivoltine raw silk, propagation of new high yielding varieties of mulberry, new varieties of